भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4777

उत्तर देने की तारीख : 21.08.2025

एमएसएमई की संशोधित परिभाषा

4777. श्री कौंडा विश्वेश्वर रेड्डी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा संशोधित की गई है और यदि हां, तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए नई सीमाएं क्या हैं;

(ख) क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत परियोजना लागत की उच्चतम सीमा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए और सेवाओं के लिए 10 लाख रुपए ही रहेगी;

(ग) क्या सरकार संशोधित परिभाषा के अनुरूप पीएमईजीपी परियोजना लागत सीमा को बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे किसी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या इस वृद्धि के संबंध में कोई आंतरिक मूल्यांकन, विशेषज्ञ की सिफारिशें या राज्य-वार व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): बजट घोषणा 2025 में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा को संशोधित किया गया है। दिनांक 21.03.2025 के अधिसूचना संख्या सा.आ. 1364(अ) के अनुसार, एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु निवेश और कारोबार की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना संशोधित किया गया है, जो 01.04.2025 से प्रभावी है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए संशोधित सीमा संयंत्र और मशीनरी में 2.5 करोड़ रुपए तक के निवेश और 10 करोड़ रुपए तक के कारोबार के साथ वर्गीकृत की गई है।

(ख) से (ङ): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी हेतु स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत सीमा विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा इकाइयों के उन्नयन हेतु दूसरा ऋण क्रमशः विनिर्माण क्षेत्र में 1.00 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र में 25.00 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर स्वीकार्य है।

संशोधित परिभाषा के अनुरूप, पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजना लागत सीमा को 2.5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परिणामस्वरूप, पीएमईजीपी परियोजना लागत सीमा बढ़ाने के संबंध में कोई आंतरिक मूल्यांकन, विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसा या राज्य-वार व्यवहार्यता अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं।

*****